न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
बंटवारा वाद सं0ः–26/2021

हरिशंकर प्रसाद...वादी

बनाम

मु0 श्वेता देवी एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
05.09.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज प्रतिवादी सं0–05 एवं 06 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 20.02.2023 पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी सं0–05 एवं 06 की ओर से अपने आवेदन दिनांक 20.02.2023 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0–05 एवं 06 का प्रतिवाद पत्र दिनांक 06.02.2023 को मो0–500/– रूपये हर्जे पर ग्रहण किया गया। जबकि प्रतिवादी सं0–05 एवं 06 द्वारा समय पर प्रतिवाद पत्र दाखिल कर दिया था। प्रतिवादी सं0–05 एवं 06 के द्वारा अपना प्रतिवाद पत्र दिनांक 02.01.2023 को दाखिल किया गया। प्रतिवादी सं0–05 एवं 06 के द्वारा प्रतिवाद पत्र दाखिल करने के लिए दिये गये समय 90 दिन के अंदर प्रतिवाद पत्र दाखिल किया गया क्योंकि दिनांक 25.12.2022 को 90 दिन पुरे हो रहे थे। उस दिनांक को क्रिसमस अवकाश के कारण न्यायालय बंद था तथा पुनः न्यायालय दिनांक 02.01.2023 को जैसे ही खुला वैसे ही प्रतिवादी सं0–05 एवं 06 के द्वारा अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल किया गया। अतः दिनांक 06.02.2023 के आदेश को वापस लेते हुये प्रतिवादी सं0–05 एवं 06 का प्रतिवाद पत्र बिना खर्चे का ग्रहण किया जाय। वादी की ओर से प्रतिवादी सं0–05 एवं 06 के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत अभिलेख में प्रतिवादी सं0–05 एवं 06 दिनांक 27.09.2022 को अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में हाजिर हुये है। **''आदेश 8 नियम 1 के अनुसार प्रतिवादी अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन उस पर समन तामील किये जाने की तिथि से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा।''** अर्थात प्रतिवादी को अपनी प्रतिरक्षा के लिए प्रतिवाद पत्र उस पर	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
बंटवारा वाद सं0ः–26/2021

हरिशंकर प्रसाद...वादी

बनाम

मु0 श्वेता देवी एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार **05.09.2023**	समन तामील किये जाने की तिथि से 30 दिन के भीतर दाखिल करना होता है। प्रतिवादी सं0–05 एवं 06 पर दिनांक 14.09.2022 को समन का तामीला न्यायालय द्वारा कराया गया। जिसकी रसीद अभिलेख पर उपलब्ध है। अतः प्रतिवादी सं0–05 एवं 06 द्वारा समय पर प्रतिवाद पत्र दाखिल नही किया गया है। अतः प्रतिवादी सं0–05 एवं 06 के द्वारा दिया गया आवेदन दिनांक 20.02.2023 को खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी सं0–05 एवं 06 को निर्देश दिया जाता है कि आगामी तिथि पर दिनांक 06.02.2023 के आदेश का पालन करें। आगामी दिनांक 06.10.2023 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	